



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: COE/283/2024

दिनांक: 14/06/2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि सत्र 2022-23 की स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की उपाधियों विश्वविद्यालय परिसर से वितरित की गयी थी, परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक उपाधियाँ प्राप्त नहीं की गयी हैं। छात्रहित में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः उपाधियों का वितरण निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	कॉलेज कोड	वितरण स्थल
1	18.06.2024	001 से 200 तक	उपाधि विभाग, डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क परिसर, आगरा।
2	19.06.2024	201 से 400 तक	
3	20.06.2024	401 से 600 तक	
4	21.06.2024	601 से 800 तक	
5	22.06.2024	800 से शेष सभी महाविद्यालय	


अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार उपाधियों को प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के किसी शिक्षक/कर्मचारी को प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र तथा संलग्न प्रारूप पर घोषणा-पत्र के साथ भेजने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त उपाधियों का वितरण कार्य पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपकुलसचिव (उपाधि) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपनी देखरेख में उपाधियों का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. अधीक्षक (उपाधि) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य में श्री योगेश चौधरी, तृतीय श्रेणी एवं अन्य कार्मिको का सहयोग लेकर उपरोक्तानुसार उपाधियों का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. एजेन्सी- 2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगइन आई0डी0 पर अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।


परीक्षा नियंत्रक

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ

कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं शासनादेशों के निर्देशों का पालन करते हुए सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क उपाधि एवं अंकतालिका वितरित की जाएगी। किसी भी छात्र/छात्रा को अन्य किसी रूप में शुल्क जमा कराने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय के प्रति शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय में की जाती है तो महाविद्यालय के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने हेतु विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

प्राचार्य/प्राचार्या